रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 2001/ज्येष्ठ 12, 1923

No. 370] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 2001/JYAISTHA 12, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 जून, 2001

का.आ. 494 (अ).—निम्नलिखित सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है —

विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

के संबंध में : अवैध नेशनल वालंटियर काउंसिल तथा

हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल

दिनांक : 15 मई, 2001

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति एस0 के0 अग्रवाल

उपस्थित : भारत के संघ के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र निश्चल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर डी अग्रवाल मेघालय राज्य के लिए श्री रंजन मुखर्जी अवैध नेशनल वालंटियर काउंसिल और हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कांउसिल - एक पक्षीय

आदेश

भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16 नवंबर,2000 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 1023(अ) के द्वारा केन्द्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम,1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अचीक नेशनल वालंटियर काउंसिल (जिसे इसमे इसके पश्चात एएनवीसी, कहा गया है) तथा हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कांउसिल (जिसे इसमें इसके पश्चात एचएनएलसी कहा गया है) को इस आधार पर तत्काल प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था कि उक्त संगठनों का घोषित उद्देश्य एवं लक्ष्य मेघालय में सुरक्षा बलों, सरकारी कर्मचारियों तथा कानून का पालन करने वाले अन्य नागरिकों पर हमला करके हिंसक उपायों के माध्यम से "मेघालय राज्य" को भारत से अलग करना है । अपने अलगाववादी उद्देश्य को हासिल करने के लिए ये जनता के विचारों को प्रभावित करने, शस्त्रों तथा प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशी सूत्रों से संबंध स्थापित कर रहे हैं ।

अधिसूचना में यह बताया गया है कि (i) सुरक्षा बलों तथा सिविलियन लोगों पर एएनवीसी तथा एचएनएलसी के सदस्यों के सशस्त्र ग्रुपों द्वारा बार बार निरंतर हिंसा एवं हमले की वारदातें हुई हैं तथा ये जारी हैं (ii) एएनवीसी तथा एचएनएलसी की संख्या में वृद्धि हुई है, (iii) एएलवीसी तथा एचएनएलसी द्वारा निरंतर धनराशि इकट्ठी की गई है, जबरन धन की वसूली की गई है तथा अत्याधुनिक हथियार प्राप्त किए गए हैं, (iv) शरण स्थल, प्रशिक्षण तथा गुप्त रूप से शस्त्र एंव गोला बारूद जुटाने के प्रयोजन के लिए एएनवीसी तथा एचएनएलसी द्वारा कुछ पड़ौसी देशों में शिविर लगाए जा रहे है ।

इस अधिकरण का गठन विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार की दिनांक 7 दिसम्बर,2000 की अधिसूचना सं. 1093(अ) के तहत किया गया तथा दिनांक 15.12.2000 के आदेश के तहत इस अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन इस अधिकरण को पत्र भेजा गया था । अधिसूचना के साथ संलग्न एएनवीसी तथा एचएनएलसी के लक्ष्यों,उद्देश्यों के संक्षिप्त विवरण में अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है:-

"1. मेघालय को शान्तिपूर्ण संघर्ष के बाद 1972 में राज्य का दर्जा मिला । कुछ समय तक अमन एवं शान्ति के बाद राज्य में ऐतिहासिक ताकतें सक्रिय होने लगीं जिनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । राज्य की स्थानीय जनजाति के लोगों, विशेषकर युवकों मे शोषण किए जाने, वंचित रहने, एकाकीपन और भारत की मुख्य भूमि

से पृथक होने की भावनायें युवकों मे आनी शुरू हो गयी । इसके परिणास्वरूप "बाहरी लोगों" के विरूद्ध आन्दोलन आरभ हो गए । राज्य की राजधानी शिलांग में वर्ष 1979 में जनजातिय और गैर-जनजातियां लोगों के मध्य पहली बार साम्प्रदायिक दंगें हुए । तत्पश्चात 1987,1990,1992 और 1997 के अंत मे नियमित अंतरालों पर साम्प्रदायिक वैमनस्य भड़का । साम्प्रदायिक वैमनस्य की बार-बार पुनरावृति के कारण राज्य के युवकों मे उग्रवादी गतिविधियों की भावना उजागर हुई ।

2• पूर्वोत्तर के विभिन्न उग्रवादी संगठन मेघालय और सीमा पार करने के लिए उसका अधिकाधिक प्रयोग करते रहे है । विशेष रूप से शिलांग आतंकवादियों के छुपने की एक अनुकूल जगह के रूप मे उभरा है । 1996 से नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड {आई/एम}, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड, यूनाईटिड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम बोडो लिबरेशन टाईगर और कालेई याओल कंबा लूप यूजी सहित विभिन्न संगठनों के 100 से अधिक उग्रवादी मेघालय में गिरफ्तार किये गये है । पकड़े गये प्रमुख आतंकवादियों में एंजल्स शिमरे {एनएससीएन} {आई/एम} के स्वयं भू गृह मंत्री}, अल्फा के केन्द्रीय प्रचार विंग के दो सदस्य {चित्रा डिल्हिंगिया और दीपक बोरा} तथा के वाई के एल के अध्यक्ष एवं कमांडर इन चीफ {क्रमशः एन• ओकन तथा एन• तोम्बा} शामिल हैं । शिलांग के अलावा, आतंकवादी शरण स्थल के लिए राज्य के रिभोई के कुछ क्षेत्रों वेस्ट खासी हिल्स ईस्ट गारो हिल्स और वेस्ट गारो हिल्स जिलों का भी उपयोग कर रहे है । मेघालय की बंगलादेश के साथ लगी 430 कि0मी0 लम्बी सीमा इसके साथ लगे घने जंगल, छुटपुट जनसंख्या और वहां सीमा पर सुरक्षा बलों की सीमित उपस्थिति का पूर्वोत्तर के उग्रवादियों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए उपयोग किया जा रहा है । जयन्तिया हिल्स जिले में डक्की, ईस्ट खासी हिल्स जिले में बलार, नोंगजरी, भोलागंज और लिंधार, वैस्ट गारो हिल्स जिले में डालू, गसपारा, अंगारवेली पुराखासिया और महेन्द्रगंज तथा साउथ गारो हिल्स जिले मे रोंगरा, बाघमारा महादेव महेशखोला एवं सिब्बरी ऐसे मुख्य क्षेत्र है जहां से सीमा पार की जाती है । इसके अलावा फूलबाड़ी {वैस्ट गारो हिल्स जिला} और महेन्द्रगंज थाना क्षेत्र ऐसे स्थान है जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है । और जहां प्रायः बंगलादेशी श्रमिक आते जाते है और जहां ऐसी गतिविधियां आसानी से की जाती है ।

3. बंगलादेश की सरकार द्वारा अपने देश में आतंकवादी शिविरों को तोडे जाने के कारण कुछ आतंकवादी संगठनों ने मजबूर होकर अन्यत्र ठिकाने बना लिये और मेघालय में इनकी गतिविधियां बढ़ गई है । ऐसे आतंकवादियों को मेघालय मे उनके शिविरों से बाहर करने के लिए दिनांक 22.3.98 को सेना की 24वीं और 40वीं ब्रिगेड की यूनिटों सहित राज्य पुलिस बल और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों का एक संयुक्त अभियान चलाया गया था जिसमें आतंकवादियों के अनेक मजबूत शिविर नष्ट किये गये थे । परन्तु पकडे गये भूमिगत आतंकवादियों की संख्या एवं जब्त किये गये शस्त्रों एवं गोलाबारूद की मात्रा बहुत कम थी । यह संयुक्त अभियान अब समाप्त हो गया है । परन्तु मेघालय में अभी भी आतंकवादी संगठन मौजूद हैं जिन्होंने राज्य पुलिस बलों पर घात लगाकर कई हमले किये हैं। जिनमें पुलिस अधीक्षक विलियमनगर पर किया गया हमला भी शामिल है ।

4. प्रान्तीयता और उग्रवाद के अभ्युदय के कारण हाल में मेघालय में सुरक्षा परिदृश्य मे बदलाव आया है जिससे वहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है । राज्य में दो आतंकवादी संगठन अर्थात अचीक नेशनल वालन्टियर काउंसिल (जिसे इसमें इसके बाद "एएनवीसी" कहा गया है) और हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (जिसे इसमे इसके बाद "एचएनएलसी" कहा गया है) सक्रिय है जो न केवल एनएससीएन (आई/एम) वरन् उल्फा और एनडीएफबी जैसे पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है।

दूसरा स्थानीय संगठन पीपुल्स लिबेशन फ्रन्ट ऑफ मेघालय (पीएलएफएम) का एनएससीएन (के) के साथ सम्बन्ध है । छुपने के ठिकानों के रूप मे अपने शिविरो को उपलब्ध कराने के अलावा शस्त्र प्राप्त करने, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और उनके अभियानों में भी एनएससीएन (आई/एम) एचएनएलसी और एएनवीसी की मेघालय में सहायता करती रही है । एएनवीसी द्वारा की गई हिंसा की अधिकांश प्रमुख घटनाओं में एनएससीएन (आई/एम) उल्फा और एनडीएफबी उग्रवादियों का हाथ रहा। बताया जाता है कि चालू वर्ष के दौरान एएनवीसी उग्रवादियों ने वैस्ट खासी हिल्स जिले में (फर.18) 70 कोयला निर्यातक ट्रकों को अपने कब्जे में लेकर उन कोयला निर्यातकों से प्रति ट्रक 10,000/-रु0 तथा इसके अलावा 5 लाख रु0 की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर ट्रक चालकों एवं कामगारों/सामान लादने वाले मजदूरों का जो व्यापक पैमाने पर अपहरण किया था उसमें भी एनएससीएन (आई/एम) उग्रवादियों का हाथ था ।

5• एएनवीसी का गठन दिसंबर,1995 में हुआ था, जिसका उद्देश्य अन्य बातों साथ साथ गारो हिल्स को मुक्त कराकर "अचीक लैंड" के एक नए राज्य की स्थापना करना है । इस संगठन की गतिविधियां मुख्यतः राज्य की ईस्ट गारो हिल्स तक ही सीमित हैं । इस संगठन के पास बड़ी संख्या में देश में निर्मित हथियार हैं । इनके पास कुछ अत्याधिक हथियार होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस संगठन ने एनएससीएन ﴾आई/एम﴿ के साथ भी निकट संबंध बनाए हुए हैं जो एएनवीसी को उसकी हिंसक गतिविधियों में मार्गदर्शन भी करता रहा है ।

"6• एचएनएलसी एक अलगाववादी संगठन है तथा इसका पूर्वी और पश्चिमी खासी हिल्स के जिलों मे खासकर शिलांग टाउन के आस-पास प्रभाव है । पिछले 03 वर्षों में, एचएनएलसी गुट के सदस्यों की संख्या 10-15 सदस्यों से बढ़कर 50 हो गई है । यह संगठन मुख्यतः गैर-आदिवासी व्यापारियों से नियमित रूप से धन लूटकर और धन ऐंठकर बहुत अधिक धनराशि जुटने में सफल रहा है । धन ऐंठकर जुटाई गई धनराशि का हथियारों को प्राप्त करने तथा अपने कैडरों को प्रशिक्षित करने में उपयोग किया गया है । संगठन ने पहले ही कुछ अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं चूंकि इस गुट के एनएससीएन ﴾आई/एम﴿ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, अतः बंगलादेशी एजेंसियो तथा एनएससीएन ﴾आई/एम﴿ के जरिए से आईएसआई से इनके सबंध होने की सभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

7• एएनवीसी तथा एचएनएलसी की बढ़ती हुई गतिविधियों के मद्देनजर इन संगठनों को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप ﴾निवारण﴿ अधिनियम, के उपबंधों के तहत, घोषित किया जाना आवश्यक समझा गया था ।

पत्र की प्राप्ति पर, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप ﴾निवारण﴿ अधिनियम,1967 की धारा 4 की उप धारा ﴾2﴿ के तहत एएनवीसी और एचएनएलसी को नोटिस जारी करके उनसे नोटिस जारी करने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर इस आशय का कारण बताओ नोटिस भेजने के लिए कहा गया

था कि उन्हें विधिविरूद्द संगम क्यों नहीं घोषित किया जाए तथा दिनांक 16 नवंबर,2000 की अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करने वाला आदेश क्यों नहीं किया जाए । केन्द्र सरकार ने दिनांक 5 मार्च,2001 को उपसचिव, गृह मंत्रालय का शपथपत्र दाखिल किया जिसमें यह कहा गया था कि ये नोटिस दिनांक 21 और 22 जनवरी,2001 को समाचारपत्रों नामतः "शिलांग टाईम्स", दिनांक 22 जनवरी,2001 को "सलानतीनी जनेरा" तथा "यू-माओफोर" में प्रकाशित किए गए थे । इन समाचारपत्रों तथा कतरनों की प्रतियां दायर की गई हैं । यह भी बताया गया है कि नोटिसों की विषय वस्तु को आकाशवाणी के शिलांग स्टेशन से भी प्रसारित किया गया था, नोटिस शिलांग के दूरदर्शन केन्द्र से भी टेलीकास्ट किए गए थे, इन नोटिसों की तामील राज्य के सभी सात जिलों में उपायुक्तों के कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर चिपका कर भी की गई थी । नियत तारीख या उसके पश्चात नियम की गई किसी भी तारीख को एएनवीसी या एचएनएलसी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ । इस बात के मद्देनजर कि उन्हें नोटिसों की उचित रूप से तामील की गई थी तथा उन पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई । केन्द्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार को निर्देश दिए गए कि वे शपथपत्रों या अन्यथा द्वारा एकपक्षीय साक्ष्य प्रारंभ करें ।

यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने मामले के समर्थन में पीडब्लू-5,डी॰के॰ सिंह॰ उप सचिव,भारत सरकार, गृह मंत्रालय का बयान लिया जिन्होंने अनुलग्नकों सहित अपने शपथपत्र को प्रमाणित करते हुए यह कहा कि 1972 में मेघालय ने शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद राज्य का दर्जा हासिल किया था, वर्ष 1979 में राज्य की राजधानी शिलांग में आदिवासी और गैर-आदिवासियों के बीच साम्प्रदायिक दंगे हुए और 1987, 1990, 1992 और 1997 में नियमित अन्तरालों पर यह वैमनस्य उभर कर सामने आया । साम्प्रदायिक वैमनस्य के कारण राज्य के युवाओं में उग्रवादी गतिविधियों की भावना उजागर हुई । बंगलादेश के साथ लगी मेघालय की 430 कि0मी0 लम्बी सीमा, इसके साथ लगे घने जंगल, छुटपुट आबादी और सुरक्षा बलों की सीमा के साथ सीमित उपस्थिति का पूर्वोत्तर के उग्रवादियों द्वारा अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए उपयोग किया जा रहा है । पूर्वोत्तर के कई उग्रवादी ग्रुप मेघालय को सीमा पार करने के लिए और उग्रवादियों को छिपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे है । नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड §आई/एम§, [illegible] एनएससीएन-आई/एम§ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड §एनडीएफबी§, यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम §उल्फा§, बोडो लिबरेशन टाईगर §बीएलटी§ और कांगलो यवोल कानबा लुप यू जीपस §केवाईकेएल§ सहित विभिन्न

उग्रवादी संगठनों के 100 से अधिक उग्रवादी गिरफ्तार किए गए । मेघालय में उग्रवादी गतिविधियाँ उस समय बढ़ गई जब बंगलादेश सरकार ने अपने देश में उग्रवादी ग्रुपों के कैम्प नष्ट कर दिए जिससे उनमें से कुछ मेघालय में आ गए । मेघालय के भीतर ऐसे उग्रवादियों को अपने कैम्पों से खदेड़ने के लिए 28 मार्च,1998 को सेना की यूनिटों, राज्य पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों का एक संयुक्त अभियान चलाया गया । उक्त अभियान के दौरान उग्रवादियों के मज़बूत कैम्पों को नष्ट किया गया, अनेक भूमिगत उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई, तथा शस्त्र व गोलाबारूद कम मात्रा में पकड़ा गया । यह बताया गया है कि मेघालय में अभी भी उग्रवादियों के ग्रुप विद्यमान हैं और इन्होंने पुलिस बलों पर घात लगाकर अनेक हमले किए जिसमें पुलिस अधीक्षक विलियमनगर भी शामिल हैं जिसमें उनका गनमैन मारा गया था । प्रान्तीयता और उग्रवाद बढ़ने के कारण मेघालय में सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आया है, इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है । यह बताया गया है कि उपरोक्त दो संगठन राज्य में सक्रिय हैं और वे न केवल एनएससीएन (आई/एम) से अपितु उल्फा तथा एनडीएफबी जैसे पूर्वोत्तर के अन्य उग्रवादी संगठनों से भी घनिष्ठ सबंध बनाए हुए हैं । एक अन्य स्थानीय उग्रवादी ग्रुप पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ मेघालय (पी•एल•एफ•एम) एनएससीएन (के) के साथ सम्पर्क बनाए हुए है जो उनके कैम्पों को छिपने का ठिकाना बनाने के अलावा शस्त्र प्राप्त करने, उनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और मेघालय में अपने ऑपरेशन चलाने में एचएनएलसी और ए•एन•वी•सी की सहायता कर रहा है । एनएससीएन (आई/एम), उल्फा और एनडीएफबी के उग्रवादी एएनवीसी द्वारा की गई अधिकांश महत्वपूर्ण हिंसक वारदातों में शामिल थे । ऐसी सूचना है कि वे लगभग 70 ट्रक ड्राइवरों और सहायक मजदूर/लोडर के अपहरण में तथाकथित रूप से शामिल थे और उन्होंने वेस्ट खासी हिल्स जिले में कोयला निर्यातक ट्रकों को पकड़ा जिसमे उन्होंने प्रत्येक कोयला निर्यातक से पांच लाख रु0 की मांग करने के अतिरिक्त प्रत्येक ट्रक के लिए 10,000 रु0 की मांग की थी । यह भी बताया गया है कि प्रेस रिलीज के जरिए एएनवीसी ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह पर बंद का आह्वान करते हुए अपनी भारत-विरोधी और अलगाव वादी प्रवृति को प्रदर्शित किया है जो दस्तावेजों से स्पष्ट है । एएनवीसी अपने संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शस्त्रों को खरीदने हेतु धनराशि एकत्र करने के उद्देश्य से नागरिकों विशेषकर व्यापारियों को डराने-धमकाने, धन ऐंठने और लूटपाट के कार्य कलापों में लगे हुए है। उनके विरूद्ध काफी संख्या में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं । एएनवीसी पुलिस कार्मिकों और अन्य सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं । और एएनवीसी द्वारा मारे गए नागरिकों के ब्यौरे शपथपत्र प्रदर्श-पीडब्ल्यू/5ई में संलग्न अनुलग्नक -ग में दिए गए हैं । यह भी बताया है कि

एएनवीसी का दिसम्बर, 1995 में अन्य बातों के साथ इस उद्देश्य से गठन किया गया था कि "अचीक लैंड" का नया राज्य बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गारो हिल्स को मुक्त कराया जाए । इस संगठन के पास अनेक स्वदेशी कुछ अत्याधुनिक हथियार भी हैं।

यह भी बताया गया है कि एचएनएलसी भी एक अलगाववादी गुट है और इसका ईस्ट और वैस्ट खासी हिल्स जिलों, विशेषकर शिलांग टाउन में और आसपास प्रभाव है । एचएनएलसी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट इश्तहार और खुले पत्र भारत संघ से राज्य को अलग करने के उनके उद्देश्य को दर्शाता है । पिछले 3 वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और वे अधिकांशतः गैर जनजातिय व्यापारियों से नियमित रूप से धन लूटने और धन ऐंठने के माध्यम से अत्याधिक धनराशि इकट्ठा करने में सफल हुए हैं । धन ऐंठने से एकत्र धन को शस्त्रों की प्राप्ति के लिए और उनके संवर्गों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया था । चूंकि इस संगठन के एनएससीएन §आई/एम§ के साथ घनिष्ठ संबंध है अतः इसके बंगलादेशी एजेंसियों के माध्यम से आईएसआई के साथ संबंध होने से इन्कार नहीं किया जा सकता । एचएनएलसी के महा सचिव, शेख सी थांग क्यू द्वारा स्थानीय दैनिक माफोर को दिए गए साक्षात्कार पृष्ठ 41 पर प्रदर्श पीडब्ल्यू-5/ई, निम्न प्रकार से है जो भारत संघ से इसे अलग करने के बारे में है ।

यह बताने का कोई कारण नहीं है कि एचएनएलसी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि हन्नीवट्रैप भूमि हमारे पूर्वजों की स्वतंत्र भूमि है और इसका भारत के साथ कोई संबंध नहीं है यह अधिमिलन के दस्तावेज और संलग्न "करार" द्वारा भारत सरकार के दमन के कारण है । जिसे खासी साइमस स्टैंडस्टिल "एग्रीमेंट" के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य थे कि भारत सरकार ने देशी §इनडीजिनस§ लोगों के अधिकारों को छीना और हन्नीवट्रैप भूमि पर स्वामित्व का बलपूर्वक दावा किया ।"

विलग होने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एचएनएलसी अपने संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शस्त्र खरीदने हेतु धन एकत्र करने के लिए आम लोगों,व्यापारियों इत्यादि से धन ऐंठने और लूटने के कार्यों में लगा हुआ है । वे पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों पर

हमला करते रहे हैं और उनके खिलाफ उनके मामले दर्ज किए गए हैं । उनके संबंध पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों के साथ है और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी उनके निकट संबंध है जो उन्हें हथियारों की आपूर्ति करते रहे है । एचएनएलसी ने अपना अग्रवर्ती मुख्यालय बंगलादेश में बनाया हुआ है ।

मेघालय राज्य ने पीडब्ल्यू-1 एडिसन राय मथाहे, पुलिस अधीक्षक, ईस्ट गारो हिल्स विलियमनगर, पीडब्ल्यू-2 बी आर राणा, पुलिस अधीक्षक, वैस्ट गारो हिल्स तुरा, पीडब्ल्यू-3, जी•एच•पी• राजू, पुलिस अधीक्षक, ईस्ट खासी हिल्स जिला,शिलांग और पीडब्ल्यू-4, हीमोनलांग नोंगप्लूह, पुलिस अधीक्षक वेस्ट खासी हिल्स जिला, नोंगस्टेइन की भी जांच की है जिन्होंने दस्तावेजों सहित एएनवीसी और एचएनएलसी की गतिविधियों के बारे में पूरा ब्योरा देते हुए अपने संबंधित हलफनामों क्रमशः प्रदर्श-पीडब्ल्यू-1/क, प्रदर्श-पीडब्ल्यू-2/क, प्रदर्श-पीडब्ल्यू-3/क, और प्रदर्श-पीडब्ल्यू-4/क के माध्यम से भी प्रमाणित किया है । पीडब्ल्यू-3 जी•एच•पी• राजू ने भी जी•पी• वाहलांग, आयुक्त और सचिव (गृह), मेघालय सरकार प्रदर्श पीडब्ल्यू-3/कक के हलफनामें को और सिविलियनों क्रमशः प्रेबलिन शिरा, पीडब्ल्यू-3/ख, डोनाल्ड डी• मारक पीडब्ल्यू-3/ग और ट्यूनल मारक पीडब्ल्यू-3/ग और जॉन सेरियो शीमलिह पीडब्ल्यू-3/ड• के भी हलफनामों को भी प्रमाणित किया है । उनके बयानों और हलफनामों के अवलोकन से एएनवीसी की भारत विरोधी और अलगाववादी प्रवृत्तियां स्पष्ट प्रकट होती हैं । वे ऐतिहासिक दिनों जैसे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भी बंद का आह्वान करते रहे हैं । ए•एन•वी•सी हथियार खरीदने के लिए धन इकट्ठा करने हेतु सिविलियनों लोगों, खासतौर पर व्यापारियों को डराने-धमकाने,धन ऐंठने और उन्हें लूटने के कार्यों में लगा हुआ है । उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सूचियां भी दायर की गई हैं । जिनसे यह पता चलता है कि वे पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों पर हमले करते रहे हैं । एएनवीसी द्वारा मारे गए पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों के कर्मिकों/सिविलियनों की सूची दर्शाई गई है । यह भी बताया गया है कि ए एन वी सी के एन एस सी एस सी एन (आई/एम), असम के उल्फा, असम के एनडीएफबी और मणिपुर के के वाई के एल जैसे प्रतिबंधित संगठनों के साथ भी घनिष्ठ संबंध हैं । यह बताया गया है कि फरवरी 1997 के दौरान विलाश एम•मारक, एएनवीसी के अध्यक्ष ने एएनवीसी के स्वयंभू, सारजेंट जेरोम मोमिन को के•वाई•के•एल के साथ, उनसे हथियार और जनशक्ति के तौर पर समर्थन लेने के लिए बातचीत करने

हेतु इम्फाल भेजा था । एएनवीसी के जिन शिविरों पर छापे मारे गए थे वहां से जब्त किए गए विभिन्न दस्तावेजों से एनएससीएन {आई/एम} और एएनवीसी के बीच संबंधों का पता चलता है । इससे यह पता चलता है कि एएनवीसी का अग्र मुख्यालय बंगलादेश में है । प्रत्येक गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस समारोहों पर बंद और असहयोग का आह्वान करने के लिए एएनवीसी द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्तियों की प्रतियां प्रदर्श-पीडब्ल्यू-2/क और उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों के रूप मे रिकार्ड में रखी गई हैं ।

इसी तरह एचएनएलबी की गतिविधियों को भी विधि विरुद्ध बताया गया है । एचएनएलसी द्वारा प्रकाशित प्रेस नोट, इश्तहार तथा खुले पत्र उनके भारत संघ से अलग राज्य के उद्देश्य को दर्शाते हैं । एचएनएलसी का सत्रह सूत्रीय कार्यक्रम उनके उपरोक्त उद्देश्य को प्रदर्शित करता है तथा उनके अलगाववादी दृष्टिकोण को भी दर्शाता है । एचएनएलसी दावा करता है "हम स्वतंत्रता की आवाज उठाते हैं और अपनी मातृ भूमि एवं लोगों को भारत के उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा उग्रराष्ट्रीयता से मुक्ति की मांग करते हैं ।" प्रदर्श , पीडब्ल्यू-5/ई {पृष्ठ 39}, एचएनएलसी के महा सचिव द्वारा एक स्थानीय दैनिक में दिए गए साक्षात्कार में भारत संघ से अलग होने की बात भी प्रदर्श-पीडब्ल्यू-3/ए के रूप में प्रमाणित होती है ।

यह संगठन धन इकठ्ठा करने तथा अपने संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शस्त्र खरीदने के लिए लोगों , व्यापारियों को डराने धमकाने, धन ऐठनें तथा लूटपाट करने के कार्यकलापों में लगा हुआ है । वे पुलिस तथा अन्य अर्द्धसैनिक बलों तथा नागरिकों पर भी हमला करते रहे हैं । एचएनएलसी के सदस्यों से बड़ी संख्या में बरामद हुए शस्त्र एवं गोलाबारूद प्रतिबंधित एनएससीएन {आई/एम}, असम के उल्फा तथा मणिपुर के केवाईकेएल के साथ उनके निकट संबंध को उजागर करते हैं । इस शपथ पत्र के समर्थन में संबंधित सूचना रिकार्ड में भी रख दी गई है ।

यह भी बताया गया है कि उक्त संगठन पूर्णतः गलत अवधारणा एवं विचारधारा से प्रभावित हैं कि मेघालय राज्य के आदिवासी लोगों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है और/या मुख्य भारत से अलग रखा जा रहा है, और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वे राज्य के युवाओं को राज्य के गैर-जनजातिय लोगों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं जिससे आखिरकार मेघालय राज्य में कई अवसरों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया।

अतः उन्होंने अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि की मांग की है कि उक्त संगठन (एपनवीसी तथा एचपनएलसी) अधिनियम की धारा 4(3) के तहत विधि विरुद्ध संगम हैं जो अधिनियम की धारा 2(च) के अर्थ में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कर रहे हैं ।

उपरोक्त संगठनों ने सुनवाई में भाग न लेने का निर्णय किया और केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा रिकार्ड में रखी गई सूचना का खण्डन नहीं किया है । गवाहों के बयान तथा दिखाए गए दस्तावेजों ने यह प्रमाणित कर दिया कि उक्त संगठन विद्रोही संगठन है जिनका उद्देश्य भारत के एक प्रदेश को संघ से अलग करना और "अचीक लैंड" नामक नया राज्य बनाना है । वे सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत की एकता एवं प्रभुसत्ता को खतरा पहुंचा रहे हैं तथा "अचीक लैंड" के सृजन के लिए उन्होंने भारत की सीमा के अन्दर तथा देश की सीमा पार से पड़ोसी क्षेत्रों के अन्य विधि विरुद्ध संगठनों से भी संबंध बना लिए हैं। इन संगठनों ने अपने सदस्यों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया है ।

ऊपर बताए गए तथ्यों के मद्देनजर मैं संतुष्ट हूं कि 16 नवंबर,2000 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं॰ 1023(अ) द्वारा उक्त संगठनों को विधि विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण थे । तद्नुसार उक्त अधिसूचना में केन्द्र सरकार द्वारा की गई घोषणा की पुष्टि की जाती है ।

मई 15, 2001

[सं. 9/3/99-एनई-I]

आर. के सिंह, संयुक्त सचिव (सी. एस.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2001

S.O. 494(E).— The following is published for general information :—

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In re : Achik National Volunteer Council & Hynniewtrep National Liberation Council

Dated : May 15, 2001

CORAM : Hon'ble Mr. Justice S. K. Agarwal

Present : Mr. R.D. Aggarwala, Sr. Advocate with

Mr. Rajinder Nischal, Advocate for UOI

Mr. Ranjan Mukherjee for State of Meghalaya Achik National Volunteer Council & Hynniewtrep National Liberation Council -ex parte

ORDER

By Notification No. 1023(E) published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 16th November, 2000; the Central Government in pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act,. 1967 (hereinafter the Act), declared the Achik National Volunteer Council (hereinafter ANVC) and Hynniewtrep National Liberation Council (hereinafter HNLC) to be unlawful associations with immediate effect, on the ground that the said organisations have, as their professed aim, and objective of secession of "Meghalaya State" from India through violent means by attacking the security forces, Government employees and other Law abiding citizens in Meghalaya. They have been making efforts to establish contacts with the sources abroad, for influencing public opinion, for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

It is stated in the notification that (i) there have been repeated, continuing and on going acts of violence, attacks by armed groups by the members of the ANVC and HNLC, on the Security Forces and the civilian population; (ii) there has been an increase in the strength of ANVC and HNLC; (iii) there has been continued collection of funds and extortions and acquisition of sophisticated weapons by ANVC and HNLC; (iv) camps in some neighbouring countries are being maintained by the ANVC and the HNLC for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

This Tribunal was constituted vide notification No. 1093(E) dated 7th December, 2000, Government of India, under sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and vide order dated 15-12-2000 reference under Section 4(1) of the Act was made to this Tribunal. In the brief resume showing the aims, objectives of ANVC and HNLC annexed to the notification, it is inter alia stated :—

"1. Meghalaya attained statehood in 1972 after a uniquely peaceful struggle. After a short spell of tranquility and calmness, the historical forces started to operate in the State with adverse effect. The feeling of exploitation, of deprivation, of isolation and of alienation from mainland India, started to haunt the indigenous tribal people of the State especially the youths. This resulted in a series of agitations against 'outsiders'. The year 1979, saw the first communal flare-up between tribals and non-tribals in Shillong, the State Capital. Thereafter, communal disharmony erupted at regular intervals in 1987, 1990, 1992 and the lates in 1997 The recurring communal situation rendered the youths of the State susceptible to militant activities.

2 Different militant groups in the North East have been increasingly using Meghalaya for shelter, rendevous and order crossing. Shillong, in particular, has emerged as a favoured destination of militants in hiding. More than 100 militants of different hues, including National Socialist Council of Nagaland (T/M), National Democratic Front of Bodoland, United Liberation Front of Assam Bodo Liberation Tiger and Kanlei Yaol Kanba LUP UGs have been arrested in Meghalaya since 1996. Important militants arrested, include Angelous Shimray (S/S Home Minister of NSCN(I/M), 2 Central publicity Wing members of ULFA(Chitra Dilhingia and Dipak Bora) and Chairman and C-in-C of KYKL. (N.Oken and N. Tomba respectively). Besides Shillong, some pockets of Ri-Bho, West Khasi Hills, East Garo Hills and West Garo Hills districts of the State are also being used by the militants for shelter. Meghalaya's over 430 km long border with Bangladesh, interspersed with thick jungles, sparse population and limited presence of Security Forces along the border, is being used for illegal border crossings by North East extremists. Dawki in Jaintia Hills district, Balat, Nongjri, Bholaganj and Linghat in East Khasi Hills district, Dalu, Gasapara, Angartoli, Purakhasia and Mahendraganj in West Garo Hills district and Rongra, Raghmara, Mahadev, Maheshkhola and Sibbari in South Garo Hills district are the main areas from

where such crossings take place. Besides this, Phulbari (West Garo Hills district) and Mahendraganj PS areas, which are dominated by Muslims and frequently visited by Bangladeshi labourers, are also vulnerable to such activities.

3. The militant activities in Meghalaya increased after Government of Bangladesh cracked down on the camps of militant groups within that country forcing the outfits to relocate, some of them within Meghalaya. A Joint operation including Army units of the 24th and 40th Brigade, the State Police Force and the Central Para Military Forces was launched on 22-3-98 to flush out such militants from their camps within Meghalaya. During the course of above operation, several well fortified camps of militants were destroyed. However, the number of underground arrested and arms and ammunition seized was minimal. The Joint operations has since concluded. However, the militant groups are still present within Meghalya and have involved the State Police Forces in a number of ambushes including one on S.P. Williamnagar.

4. The security scenario in Meghalaya has changed of late due to the rise of parochialism and extremism which has been worsening the law and order situation. Two terrorist groups viz. Ackik National Volunteer Council (hereinafter referred to as the 'ANVC') and Hynniewtrep National Liberation Council (hereinafter referred to as the 'HNLC') are active in the State and have been maintaining close links with not only NSCN(I/M) but also with other North East militant outfits like the ULFA and the NDFB. Another local militant group. People's Liberation Front of Meghalaya (PLFM) is maintaining links with NSCN(K). The NSCN(I/M) has been helping HNLC and the ANVC in procurement of arms, training of their cadres and in their operations in Meghalaya, besides providing their camps as hideouts. The NSCN(I/M), the ULFA and the NDFB militants were involved in most of the important incidents of violence committed by the ANVC. During the current year, the NSCN (I/M) militants were reportedly involved in mass abduction of truck drivers and handymen/loaders by the ANVC militants from over 70 coal exporting trucks seized by it in West Khasi Hills district (February, 18), demanding Rs. 10,000/- for each truck, besides Rs. 5 lakhs from each coal exporter.

5. ANVC was formed in December, 1995 with the aim of, amongst other things, liberation of Garo Hills to achieve a new State of 'Achik Land'. The activities of the outfit are mainly confined to the East Garo Hills of the State. The outfit has a number of country-made arms in its possession. Possession of a few sophisticated arms also cannot be ruled out as the outfit has been maintatining close connection with NSCN(I/M) which has also been providing guidance to ANVC in its violent activities.

6. The HNLC is a secessionist outfit and has influence in East and West Khasi Hills districts, particularly in and around Shillong town. The HNLC has grown from an outfit of about 10-15 members to about 50 in last 3 years. The outfit has been able to raise large sums of money regularly through looting and extortion, mostly from non-tribal businessmen. Most of the money collected through extortions has been utilised for procuring weapons and training of its cadres. The outfit has already procured some sophisticated weapons. Since the outfits has close connections with NSCN(I/M), its links with ISI through Bangladesh agencies and NSCN(I/M) cannot be ruled out.

7. In view of the increasing activities of the ANVC and the HNLC, it was considered necessary to declare these organisations as 'Unlawful Association' under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

On receipt of the reference, notices were issued under sub-section (2) of section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 to ANVC and HNLC calling upon them to show cause within 30 days from the date of service of the notice why they should not be declared unlawful and the order should not be made confirming the declaration made in the notification dated 16th November, 2000. The Central Government filed an affidavit of the Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs dated 5th March, 2001 stating that notices were published in newspapers namely, Shillong Times dated 21st and 22nd January, 2001; Satantini Janera dated 22nd January, 2001 and U-Mawphor. Copies of the newspapers, clippings have been filed. It is also stated that contents of the notices were broadcast through Shillong Station of All India Radio; notices were telecast through Doordarshan Kendra, Shillong; notices were also served by affixation and notice boards at office of Deputy Commissioners in all the seven Districts of the State. None appeared on behalf of ANVC or HNLC on the date fixed and on any date fixed thereafter. In view of the same they were held to have been duly served and were proceeded ex-parte. Central Government as well as State Government were directed to lead ex-parte evidence by way of affidavits, or otherwise.

Union of India, in suppport of its case examined PW-5, D.K. Singh, Deputy Secretary, Govt. of India, Ministry of Home Affairs who also proved his affidavit along with annexures stating that in 1972 Meghalaya attained Statehood, after peaceful struggle; in 1979 there was communal flare-up between the tribals and non-tribals of Shillong in the State capital and the disharmony continued to erupt at regular intervals in 1987, 1990, 1992 and 1997. The recurring communal disharmony rendered the youth of the State susceptible to militant activities. Meghalaya's over 430 Km. border with Bangladesh, interspersed with thick jungles, sparse population and limited presence of Security Force along the border, is being used for illegal border crossings by North East extremists. Different militant groups in North East started using

Meghalaya for border crossing and for militants in hiding. More than 100 militants of different hues, including National Socialist Council of Nagaland (I/M) (for short NSCN-I/M), National Democratic Front of Bodoland (NDFB), United Liberation Front of Assam (ULFA), Bodo Liberation Tiger (BLT) and Kanglei Yaol Kanba Lup UGS (KYKL) were arrested. The militant activities in Meghalaya increased after Govt. of Bangladesh cracked down on the camps of militant groups within that country forcing the outfits to relocate some of them within Meghalaya. A Joint Operation of the Army units, the State Police Force and the Central Para Military Forces was launched to flush-out such militants from their camps within Meghalaya on 22nd March, 1998. In the course of this operation, several well fortified camps of militants were destroyed, number of underground militants were arrested; arms and ammunition seized was minimal. It is stated that the militant groups are continuing to be present in Meghalaya, and were involved in a number of ambushes with Police Force including one on Superintendent of Police, Williamnagar wherein his gunman was killed. The security scenario in Meghalaya has changed due to the rise of parochialism and extremism; it worsened the law and order situation. It is stated that above noted two Association are active in the State and have been maintaining close links with not only NSCN(I/M) but also with other North East militant outfits like ULFA and NDFB. Another local militant group People's Liberation Front of Meghalaya (PLFM) is maintaining links with NSCN(K), who are helping HNLC and ANVC in procurement of arms, training of their cadres and in their operations in Meghalaya besides providing their camps as hideouts. NSCN(I/M), ULFA and NDFB militants were involved in most of the important incidents of violence committed by ANVC. They were reportedly involved in abduction of about 70 truck drivers and handymen/ loaders and coal exporting trucks were seized by it in West Khasi Hills district demanding Rs. 10,000/- for each truck, besides Rs. 5 lakhs from each coal exporter. It is further stated that through the press releases, ANVC has reflected their anti-India and secessionist tendency by calling Bandhs on Republic Day and Independence Day celebrations which is evident from the documents. ANVC have been employing and engaging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population particularly businessmen for the purpose of collection of funds to buy arms to achieve the objectives of their organisation. Large number of criminal cases have been registered against them. ANVC has been attacking the police personnel and other Security Forces/civilians killed by ANVC are detailed in Annexure-C attached to the affidavit Ex. PW 5/E. It is also stated that ANVC was formed in December, 1995 with the aim and object amongst other things, liberation of Garo Hills of the State to achieve a new State of 'Achik Land'. This outfit has a number of country made and some sophisticated arms in their possession.

It is further stated that HNLC is also a secessionist outfit and has influence in East and West Khasi Hills districts, particularly, in and around Shillong town. Press notes, pamphlets and open letters issued by HNLC indicate their objectives of session of the State from the Union of India. They have grown in the last 3 years and they are able to raise large sums of money regularly through looting and extortion mostly from non-tribal businessmen. Money collected through extortions was utilised for procuring weapons and training of its cadres. Since the outfits have close connections with NSCN(I/M), therefore its links with ISI through Bangladesh agencies cannot be ruled out. The interview given by the Secretary General of the HNLC Shriek C. Thangkhiew to Mawphor, a local Daily Ex. PW-5/E at page 41 relating to secession from the Union of India reads :

> "There is no reason to say that the HNLC is struggling for independence as the Hynniewtrep land is an independent land of our forefathers, and it has no connection with India, it is only due to the suppression of the Indian Govt. by way of instrument of accession and Annexed 'Agreement' which the Khasi Syiems were forced to sign in the form of the Standstill 'Agreement' that the Indian Govt. snatched the rights of the indigenous people and forcibly claim the ownership of the Hynniewtrep Land."

In order to achieve the objective of secession, the HNLC has been employing and engaging in the acts of extortion and looting of civilian population, businessmen etc. for collection of funds to buy arms to achieve the objectives of their organization. They have been attacking police and other paramilitary forces and number of cases have been registered against them. They had links with other insurgent groups of North East and close links with other banned organisations who have been supplying arms to them HNLC maintained their forward Headquarters in Bangladesh.

State of Meghalaya has examined PW-1 Addison Roy Mawthoh, Superintendent of Police, East Garo Hills, Williamnagar, PW-2 B. R. Rana, Superintendent of Police, West Garo Hills, Tura. PW-3 G. H P. Raju, Superintendent of Police. East Khasi Hills District, Shillong and PW-4 Heimonlang Nongpluh, Superintendent of Police, West Khasi Hills District, Nongstoin, who have also proved through their respective affidavits, Exhibit-PW-1/A, Exhibit-PW-2/A, Exhibit-PW-3/A and exhibit PW-4/A respectively giving details regarding the activities of ANVC and HNLC along with documents. PW-3 G.H.P. Raju has also proved the affidavit of G.P. Wahlang, Commissioner and Secretary (Home), Government of Meghalaya Ex. PW-3/AA, and the affidavits of the civilians, namely Preblin Shira, PW-3/B, Donald D Marak PW-3/C and Tunel Marak PW-3/D and John Sario Syiemlieh PW-3/E respectively.

Perusal of their statements and the Affidavits clearly reveal their anti-India and secessionist tendencies of ANVC. They have been giving call for bandhs on historic days, like Republic Day and on Independence Day. ANVC is engaged in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population particularly businessmen for collection of funds to buy arms. Lists of criminal cases pending against them have also been filed which show that they have been attacking Police Personnel and other Security forces. List of Police Personnel and other Security Forces/Civilian killed by ANVC has been reflected. It is also stated that ANVC has very close links with the banned organisations like NSCN(I/M), ULFA of Assam, NDFB of Assam and KYKL of Manipur. It is stated thast during the month of February 1997 Dilash M Marak Chairman of ANVC sent Jerome Momin self styled Sergeant of ANVC to Imphal to negotiate with KYKL for seeking support in the form of arms and manpower to them. Various documents seized from the raided ANVC camps revealed links between NSCN (I/M) and ANVC It shows that ANVC maintained their forward Head-quarters in Bangladesh. Copies of the press releases issued by ANVC calling for bandh and non-cooperation on every Republic Day and Independence Day celebrations have been placed on record as Exhibit-PW-2/A and the annexures attached thereto.

Similarly, the activities of HNLC are stated to be also unlawful Press notes, pamphlets and open letters issued by HNLC indicate their objectives of secession of the State from the Union of India. Seventeen point programme of the HNLC reflects the above stand and also indicate their secessionist approach. HNLC claims "we demand and voice for freedoms and to unchain our mother land and people from the Indian colonialism, imperialism and chauvinism." Exhibit-PW-5/E (page 39), the interview given by the General Secretary of the HNLC in the local Daily relating secession from the Union of India has also been proved as Exhibit-PW-3/A.

This organisation has also been employing and engaging in the acts of extortion and looting of civilian population, businessmen etc. for collection of funds and to buy arms to achieve the objectives of their Associations. They have been attacking the police and other para military forces and also civilians. Large number of arms and ammunitions seized from the members of HNLC shows its close links with the banned NSCN (I/M), ULFA of Assam and KYKL of Manipur. Relevant materials in support of this affidavit has also been placed on record.

It is stated that the said Associations are labouring under an absolutely wrong notion and ideology that the tribal people of the State of Meghalaya, are being subjected to exploitation, deprivation, isolation and/or alienation from the mainland India and with this end in view, they have been inciting the tribal youths of the State to be up in arms against the non-tribal population of the State which ultimately resulted in the communal tension in the State of Meghalaya on many occasions. They have thus sought for confirmation of the declaration made in the Notification issued by the Central Government u/s. 3(1) of the Act that the said Associations (ANVC & HNLC) as Unlawful Associations u/s. 4(3) of the Act, carrying on Unlawful Activities within the meaning of S. 2(f) of the Act.

Above noted organisations have chosen not to contest the proceedings and the material placed on record by the Central Government as well as the State Government has gone unrebutted. Statement of witnesses and the documents proved on record show that the said organisations are insurrectionary. Associations with their aim and object of the secession of a part of the territory of India from the union and to achieve a new State of "Achik Land". They, through the armed struggle are threatening the sovereignty and integrity of India and have aligned themselves with other Unlawful Associations in the region within India and the organisations in the neighbouring regions across the country's border's for creation of 'Achik Land'. These Associations have encouraged and aided its members to commit unlawful activities.

In view of the facts noted above, I am satisfied that there was sufficient cause for declaring the said organisations to be Unlawful Associations by Notification No 1023(E), published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 16th November, 2000. Accordingly, declaration made by the Central Government in the said Notification is hereby confirmed.

May 15, 2001

JUSTICE S. K. AGARWAL, Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

[No. 9/3/99-NE-I]

R.K. SINGH, Jt. Secy. (C.S.)

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054